(360)

विलायत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.   /2018

निगरानी-4598/2018/सीधी/भू.रा.50

1. रविकर प्रसाद पुत्र त्रिवेणी प्रसाद ब्राम्हण,

2. कृपाशंकर पुत्र शिव कुमार राम ब्राम्हण,

3. दयाशंकर पुत्र शिवकुमार राम ब्राम्हण, निवासी– धनखोरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

--आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव एड. द्वारा आज दि. 24-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-8-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
24-07-2018

विरुद्ध

1. महावीर सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दू सिंह गोंड़,
2. राजमणि सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दू सिंह गोंड़,
3. ठाकुर प्रसाद पुत्र स्व. श्री दलवीर सिंह गोंड़,
4. लाल प्रताप पुत्र स्व. श्री दलवीर सिंह गोंड़,
5. अभयराज पुत्र स्व. श्री दलवीर सिंह गोंड़, समस्त निवासीगण– ग्राम धनखोरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

6. वीरभान पुत्र बुद्धीराम ब्राम्हण (मृतक) द्वारा वारिसानः–

   1. श्रीमती रामकली पत्नी स्व. श्री वीरभान

4.श्रीमती सोमवीती पत्नी स्व. श्री मोहन प्रसाद,

5.प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री मोहन प्रसाद,

6.श्यामूर्ति पुत्र स्व. श्री मोहन प्रसाद,

समस्त निवासीगण– ग्राम धनखोरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म. प्र.)

--तरतीवी/अनावेदकगण

<u>न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2012–13 में पारित आदेश पारित दिनांक 27/07/2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, ग्राम धनखोरी में स्थित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 513, 517, 519 एवं 520 के साथ अन्य भूमि आवेदक क्रमांक 1 के पिता एवं आवेदकगण क्रमांक 2 व 3 के पूर्वज मानधाता राम द्वारा संयुक्त रूप से सन् 1951 में सवंत् 2008 में अपंजीयक विक्रय विलेख द्वारा अनावेदकगण के पूर्वजो से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तदानुसार निरंतर भूमि स्वामी के रूप में आधिपत्यधारी चला आ रहा है। उपर्युक्त भूमियों के नये नम्बर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—4598/2018/सीधी/भू.रा.

रविकर प्रसाद आदि विरूद्ध महावीर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28—02—2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 27—07—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25—4—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	